प्रेस नोट–80/2026
दिनांक 05.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद संतकबीरनगर/थाना बखिरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा**
- **05 लाख रूपये नगद**
- **चोरी की 01 कार बरामद**

दिनॉक:05.02.2026 को थाना बखिरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बालूसाशन पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–रमेश 2–मो0 सिराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा, 05 लाख रूपये नगद, चोरी की 01 कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रमेश के विरूद्ध जनपद बस्ती, संतकबीरनगर, बिहार प्रदेश के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बखिरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमेश निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज, बिहार।

2–मो0 सिराज निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरनगर, बिहार।

बरामदगी

1–20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।

2–05 लाख रूपये नगद।

3–चोरी की 01 कार।

जनपद कानपुर देहात/थाना रनियां

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 05.02.2026 को थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर गजनेर तिराहा से 03 अभियुक्तों 1–विनोद 2–मुकेश 3–अविनाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद निवासी जूहीलाल कालोनी थाना किदवई नगर, कानपुर नगर।

2–मुकेश निवासी ग्राम तिलसड़ा थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

3–अविनाश निवासी आई 362 विश्व बैंक बर्रा थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1–20 पेटी अवैध शराब।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामगोविंद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/366ए भादवि एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बलराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 27 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 342/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अंकित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना मुण्डेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना मुण्डेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/304 भादवि एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

प्रेस नोट–81/2026

दिनांक 05.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 05.02.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन सहारनपुर इकाई द्वारा आकिब मलिक निवासी ग्राम बहादुरनगर लखनौती मुस्त थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से मा0 मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत लोन पास करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मुकेन्द्र कुमार के नेतृत्व में स्टेट बैंक कालोनी स्थित कार्यालय खादी ग्रामोद्योग जनपद सहारनपुर के बाहर रोड से राहुल शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी अम्बहेटी थाना नकुड जनपद सहारनपुर को 05 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———————